

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस



फाइल नं० - 120/2023

अनवान :-

1. रणधीर पुत्र कलीराम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरावासा चिडियागांधी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र रोहताश जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरावासा त0 भादरा।
2. उर्मिला पुत्री दीवानसिंह जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
3. प्रदीप पुत्र दीवानसिंह जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
4. विमला पत्नी दीवानसिंह जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
5. चन्दो पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
6. रणसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
7. लक्ष्मी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
8. विजय कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
9. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विनोद पुनियां वादीगण
श्री उम्मेद मोठसरा प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 13/12/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 20 एएमएस के खाता सं० 150/139 के मु० न० 85 के किला न० 3 ता 8, 13 ता 15 कुल 2.277 है० नहरी खातेदारी व चक 20 एएमएस के खाता सं० 151/138 के मु० न० 85 के किला न० 1/1, 2/1, 9/2, 10/2, 12/2, 16 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 कुल किला 15 कुल 3.092 है० बारांनी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि में वादी के नाम खाता सं० 150/139 में 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी उर्मिला का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी चन्दों का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी प्रदीप का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी बिमला देवी का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी मुकेश का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी विजय कुमार का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार का 1/15 हिस्सा दर्ज है व खाता सं० 151/138 में वादी के नाम से 843/6184 हिस्सा, प्रतिवादी उर्मिला के नाम 225/1546 हिस्सा, प्रतिवादी चन्द्रों के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी प्रदीप के नाम 225/1546 हिस्सा, प्रतिवादी मुकेश के नाम 843/6184 हिस्सा, प्रतिवादी रणसिंह के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी लक्ष्मी के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी विजय कुमार के नाम 1349/15460 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

Kalpit
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)




वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी वंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही विनाय गुखासगत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ता 4 की ओर से जवाब पेश किया गया व प्रतिवादी सं० 5 ता 9 के हाजिर अदालत नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही कि रोही मौजा चक 20 एएमएस के खाता सं० 150/139 के मु० न० 85 के किला न० 3 ता 8, 13 ता 15 कुल 2.277 है० नहरी खातेदारी व चक 20 एएमएस के खाता सं० 151/138 के मु० न० 85 के किला न० 1/1, 2/1, 9/2, 10/2, 12/2, 16 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 कुल कित्ता 15 कुल 3.092 है० बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि में वादी के नाम खाता सं० 150/139 में 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी उर्मिला का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी चन्द्रों का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी प्रदीप का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी बिमला देवी का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी मुकेश का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी विजय कुमार का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार का 1/15 हिस्सा दर्ज है व खाता सं० 151/138 में वादी के नाम से 843/6184 हिस्सा, प्रतिवादी उर्मिला के नाम 225/1546 हिस्सा, प्रतिवादी चन्द्रों के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी प्रदीप के नाम 225/1546 हिस्सा, प्रतिवादी मुकेश के नाम 843/6184 हिस्सा, प्रतिवादी रणसिंह के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी लक्ष्मी के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी विजय कुमार के नाम 1349/15460 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

प्रतिवादी सं० 2 उर्मिला पुत्री दीवानसिंह 703/1659 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 प्रदीप पुत्र दीवानसिंह 703/1659 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 बिमला देवी पत्नी दीवानसिंह 253/1659 हिस्सा जाति मेघवाल साकिन गांधीबडी खातेदार राहिन प्रदीप बिमला हिस्सा पीएनबी शाखा गांधीबडी :- रोही मौजा चक 20 एएमएस के मु० न० 85 के किला न० 2/1 की 0.043 है० बारानी किला न० 3 ता 5 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी किला न० 6/1 की 0.217 है० नहरी किला न० 7/1 की 0.217 है० नहरी किला न० 8/1 की 0.217 है० नहरी किला न० 9/1 की 0.206 है० बारानी इस प्रकार कुल रकबा 1.659 है० नहरी/बारानी।


अपरिण्डाधिकारी (राजस्व,
पादग (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी सं० 5 चन्द्रों पत्नी रामचंद्र, प्रतिवादी सं० 6 रणसिंह, प्रतिवादी सं० 7 लक्ष्मी, प्रतिवादी सं० 8 राजेश कुमार प्रतिवादी सं० 9 सुरेन्द्र कुमार पि० रामचंद्र बहिस्सा बराबर जाति मेघवाल सा० गांधीबडी खातेदार-राहिन संपूर्ण खाता पीएनबी शाखा गांधीबडी :- रोही मौजा चक 20 एएमएस के मु०न० 85 के किला न० 1/1 की 0.013है० बारानी किला न० 6/2 की 0.036है० नहरी, किला न० 7/2 की 0.036है० नहरी, किला न० 8/2 की 0.036है० नहरी, किला न० 9/2 की 0.034है० बारानी, किला न० 10/2 की 0.228है० बारानी, किला न० 12/2 की 0.209है० बारानी, किला न० 13 ता 15 प्रत्येक की 0.253है० नहरी, किला न० 16 की 0.253है० बारानी किला न० 17/1 की 0.084है० बारानी, किला न० 18/1 की 0.084है० बारानी, किला न० 19/1 की 0.083है० बारानी, किला न० 25 की 0.253है० बारानी इस प्रकार कुल कित्ता 15 कुल रकबा 2.108है० बारानी/नहरी।


वादी रणधीर पुत्र कलीराम जाति मेघवाल सा० सरदारपुरा बास खातेदार :- रोही मौजा चक 20 एएमएस के मु०न० 85 के किला न० 17/2 की 0.169है० बारानी किला न० 18/2 की 0.169है० बारानी, किला न० 19/2 की 0.170है० बारानी किला न० 20/2 की 0.095है० बारानी, किला न० 21/2 की 0.048है० बारानी, किला न० 22/1 की 0.050है० बारानी, किला न० 23/1 की 0.050है० बारानी, किला न० 24/1 की 0.050है० बारानी इस प्रकार कुल रकबा 0.801है० बारानी।

प्रतिवादी सं० 1 मुकेश पुत्र रोहताश जाति मेघवाल सा० सरदारपुराबास खातेदार :- रोही मौजा चक 20 एएमएस के मु०न० 85 के किला न० 21/3 की 0.192है० बारानी किला न० 22/2 की 0.203है० बारानी किला न० 23/2 की 0.203है० बारानी किला न० 24/2 की 0.203है० बारानी, इस प्रकार कुल रकबा 0.801है० बारानी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हिमाचल प्रदेश

डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

सं० - 120/2023

संज्ञान :-

1. रणधीर पुत्र कलीराम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरावास चिड़ियागाँवा तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र रोहताश जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरावास त0 भादरा।
2. उर्मिला पुत्री दीवानसिंह जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
3. प्रदीप पुत्र दीवानसिंह जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
4. विमला पत्नी दीवानसिंह जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
5. चन्दो पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
6. रणसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
7. लक्ष्मी पुत्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
8. विजय कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
9. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां व वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 20 एएमएस के खाता सं० 150/139 के मु० न० 85 के किला न० 3 ता 8, 13 ता 15 कुल 2.277 है० नहरी खातेदारी व चक 20 एएमएस के खाता सं० 151/138 के मु० न० 85 के किला न० 1/1, 2/1, 9/2, 10/2, 12/2, 16 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 कुल कित्ता 15 कुल 3.092 है० बाराणी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुशतर्का खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि में वादी के नाम खाता सं० 150/139 में 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी उर्मिला का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी चन्दों का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी प्रदीप का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी बिमला देवी का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी मुकेश का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी विजय कुमार का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार का 1/15 हिस्सा दर्ज है व खाता सं० 151/138 में वादी के नाम से 843/6184 हिस्सा, प्रतिवादी उर्मिला के नाम 225/1546 हिस्सा, प्रतिवादी चन्द्रों के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी प्रदीप के नाम 225/1546 हिस्सा, प्रतिवादी मुकेश के नाम 843/6184 हिस्सा, प्रतिवादी रणसिंह के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी लक्ष्मी के नाम 1349/15460 हिस्सा, प्रतिवादी विजय कुमार के नाम 1349/15460 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

Kalpita
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
जिला हनुमानगढ़)



प्रतिवादी सं० 2 उर्मिला पुत्री दीवानसिंह 703/1659 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 प्रदीप पुत्र दीवानसिंह
साकिन गांधीबडी खातेदार राहिन प्रदीप बिगला हिस्सा पीएनबी शाखा गांधीबडी :- रोही मौजा चक
20 एएमएस के मु०न० 85 के किला न० 2/1 की 0.043है० बाराणी किला न० 3 ता 5 प्रत्येक की 0.
253है० नहरी किला न० 6/1 की 0.217है० नहरी किला न० 7/1 की 0.217है० नहरी किला न० 8/1
की 0.217है० नहरी किला न० 9/1 की 0.206है० बाराणी इस प्रकार कुल रकबा 1.659है०
नहरी/बाराणी।

प्रतिवादी सं० 5 चन्द्रों पत्नी रामचंद्र, प्रतिवादी सं० 6 रणसिंह, प्रतिवादी सं० 7 लक्ष्मी, प्रतिवादी सं०
8 विजय कुमार प्रतिवादी सं० 9 सुरेन्द्र कुमार पि० रामचंद्र बहिस्सा बराबर जाति मेघवाल सा० गांधीबडी
खातेदार-राहिन संपूर्ण खाता पीएनबी शाखा गांधीबडी :- रोही मौजा चक 20 एएमएस के मु०न० 85
के किला न० 1/1 की 0.013है० बाराणी किला न० 6/2 की 0.036है० नहरी, किला न० 7/2 की 0.
036है० नहरी, किला न० 8/2 की 0.036है० नहरी, किला न० 9/2 की 0.034है० बाराणी, किला न०
10/2 की 0.228है० बाराणी, किला न० 12/2 की 0.209है० बाराणी, किला न० 13 ता 15 प्रत्येक की
0.253है० नहरी, किला न० 16 की 0.253है० बाराणी किला न० 17/1 की 0.084है० बाराणी, किला न०
18/1 की 0.084है० बाराणी, किला न० 19/1 की 0.083है० बाराणी, किला न० 25 की 0.253है०
बाराणी इस प्रकार कुल किला 15 कुल रकबा 2.108है० बाराणी/नहरी।

वादी रणधीर पुत्र कलीराम जाति मेघवाल सा० सरदारपुरा बास खातेदार :- रोही मौजा चक 20
एएमएस के मु०न० 85 के किला न० 17/2 की 0.169है० बाराणी किला न० 18/2 की 0.169है०
बाराणी, किला न० 19/2 की 0.170है० बाराणी किला न० 20/2 की 0.095है० बाराणी, किला न०
21/2 की 0.048है० बाराणी, किला न० 22/1 की 0.050है० बाराणी, किला न० 23/1 की 0.050है०
बाराणी, किला न० 24/1 की 0.050है० बाराणी इस प्रकार कुल रकबा 0.801है० बाराणी।

प्रतिवादी सं० 1 मुकेश पुत्र रोहताश जाति मेघवाल सा० सरदारपुराबास खातेदार :- रोही मौजा चक 20
एएमएस के मु०न० 85 के किला न० 21/3 की 0.192है० बाराणी किला न० 22/2 की 0.203है०
बाराणी किला न० 23/2 की 0.203है० बाराणी किला न० 24/2 की 0.203है० बाराणी, इस प्रकार कुल
रकबा 0.801है० बाराणी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक
के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की
गई



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़